तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 1337/2017 अनवान रावताराम बनाम तुलछाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र सनावड़ा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 01.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र सनावड़ा पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर	
01.06.2018	पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र सनावडा पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की उपधारा 01 के प्रावधानों के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 406 ग्राम सनावडा में से नया रास्ता खसरा नम्बर 414 गै.मु. आबादी भूमि में जाने हेतु स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। तहसीलदार बाडमेर से आवेदन के तथ्यों के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भूअ/4167 दिनांक 29.05.2018 से मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भू-अभिलेख निरीक्षक हाथीतला ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 414 ग्राम सनावड़ा की आबादी भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण कभी-कभी निवास करता है। प्रार्थीगण रावताराम का निवास बाडमेर शहर के मौहल्ला दानजी की होदी में है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम फुसाणियां का तला में आई हुई है, जो उनके मकान से 2.500 किलोमीटर दूर है। रावताराम के मकान के पूर्व दिशा में 20 फीट की गली मौजूद है जो आबादी भूमि में होते हुए एनएच 68 पर मिलती है और रावताराम का उक्त गली (मार्ग) से आवागमन होता है। रावताराम का रास्ता बाधित नही है और नया रास्ता आवेदित खसरा नम्बर 406 में से निकालने का कोई आधार नही है। प्रार्थीगण विवादित	

PTO.

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवदेन संख्या 1337/2017 अनवान रावताराम बनाम तुलछाराम**

भूमि के खातेदार नही है तथा ग्राम पंचायत की खातेदारी भूमि में अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत रास्ता घोषित किये जाने का कोई आधार नही है और प्रार्थी के आवासीय मकान से मुख्य सड़क एनएच 68 पर आने जाने का 20 फीट का रास्ता उपलब्ध है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते के बारे में कोई आदेश पारित किया जाने का ओचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार एवं सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

Scanned by CamScanner